A6/1

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बूंदी

पीठासीन अधिकारी–

श्री घनश्याम शर्मा,
आर.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
130/प्रा0पत्र/18	29.10.2018	27.08.2024

1. चौथमल आ0 जग्गा जाति धाकड निवासी ग्राम करवर तहसील नैनवा जिला बून्दी।

–प्रार्थी

बनाम

1. रामकुंवार आ0 मोडु जाति गूर्जर निवासी ग्राम करवर तहसील नैनवा जिला बून्दी। (मृतक)

1/1. श्रीमति तीजू पत्नी रामकुमार जाति गूर्जर निवासी ग्राम करवर तहसील नैनवा जिला बून्दी।

1/2. श्रीमति सोसर बाई पुत्री रामकुमार जाति गूर्जर निवासी ग्राम करवर तहसील नैनवा जिला बून्दी।

1/3 सन्तोष पुत्री रामकुमार पत्नी हंसराज जाति गूर्जर निवासी ग्राम करवर तहसील नैनवा जिला बून्दी।

1/4. धापू पुत्री रामकुमार पत्नी घासीलाल जाति गूर्जर निवासी ग्राम करवर तहसील नैनवा जिला बून्दी।

1/5. देवलाल पुत्र रामकुमार जाति गूर्जर निवासी ग्राम करवर तहसील नैनवा जिला बून्दी। (मृतक)

1/5/1. राजेन्द्र पुत्र देवलाल जाति गूर्जर निवासी ग्राम करवर तहसील नैनवां जिला बून्दी।

1/5/2. शैतान पुत्र देवलाल जाति गूर्जर निवासी ग्राम करवर तहसील नैनवां जिला बून्दी।

1/5/3. पूजा पुत्री देवलाल जाति गूर्जर निवासी ग्राम करवर तहसील नैनवां जिला बून्दी ।

1/5/4. भूरा बाई पत्नी देवलाल जाति गूर्जर निवासी ग्राम करवर तहसील नैनवां जिला बून्दी।

2. आवंटन परामर्शदात्री द्वारा उपखण्ड अधिकारी नैनवां तहसील नैनंवा जिला बून्दी राज0।

3. तहसीलदार नैनंवा तहसील नैनंवा जिला बून्दी ।

–अप्रार्थी

उपस्थित–

प्रार्थी की ओर से–श्री रामकुवांर दाधिच एड0
अप्रार्थी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही

निर्णय

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम, 1970 इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अप्रार्थी रामकुवांर आ0

A 6/2

नाडू जाति गूर्जर निवासी ग्राम करवर तहसील नैंनवा को किया गया भूमि आवंटन खसरा संख्या 545/1 रकबा 1 बीघा वाके ग्राम करवर तहसील नैंनवा आवंटन आदेश दिनांक 05.07.1999 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया हैं। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तथा अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। अप्रार्थी रामकुंवार की मृत्यु हो चुकी है जिसके कायम मुकामान को जरिय नोटिस तलब किया जो बाद तामील न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। जिनके विरूद्व दिनांक 25.06.2024 एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस समाअत की गई।

वकील प्रार्थीगण ने दोराने बहस तर्क प्रस्तुत किये कि अप्रार्थी रामकुवांर को विवादित कृषि भूमि खसरा संख्या 545/1 रकबा 1 बीघा वाके ग्राम करवर तहसील नैंनवा मिसल सं0 44/99 से आवंटन आदेश दिनांक 05.07.1999 को आवंटन किया गया था। उक्त भूमि आवंटन से पूर्व से ही प्रार्थी लगभग 50 वर्ष से प्रार्थी चौथमल के कब्जे काश्त में चली आ रही है। पटवारी हल्का द्वारा भूमि खसरा संख्या 545/1 रकबा 1 बीघा में से एक बीघा भूमि के आवंटन फार्म पर अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि आवंटी का खसरा परिवर्तनशील में नाम दर्ज नहीं होने के पश्चात भी आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा उक्त आवंटन किया गया है तथा आवंटन से पूर्व भू आवंटन की धारा 4 व 5 में अनआक्यूपाईड लैण्ड की सूची जारी नही की गई थी। आवंटन के समय आवंटी के खातेदारी में 30 बीघा भूमि दर्ज होने के पश्चात भी उक्त आवंटन किया गया था। प्रार्थी को तत्समय उक्त आवंटन की जानकारी नही थी उक्त तथ्य की प्रार्थी को दिनांक 05.10.2018 को हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थी से कहने पर उक्त भूमि के आवंटन की जानकारी प्राप्त हुई जानकारी प्राप्त होते ही प्रार्थी ने आवंटन आदेश हेतु नकल प्राप्त की। पटवार हल्का करवर की मौका रिर्पोट के अनुसार उक्त भूमि खसरा संख्या 545/1 रकबा 1 बीघा पर चोथमल आ0 जग्गा का कब्जा काश्त चला आ रहा है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं कर आवंटन नियम 14(3) का उल्लंघन किया गया हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटन निरस्त किया जावें।

पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में अवगत कराया कि आवंटी द्वारा आवंटन नियमों की पालना नहीं की गई। पटवार हल्का करवर की मौका रिर्पोट के अनुसार उक्त भूमि पर खसरा संख्या 545/1 रकबा 1 बीघा पर चोथमल आ0 जग्गा का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अतः कब्जा नहीं होने से तथा आवंटन शर्तो की पालना नहीं होने से उक्त आवंटन खारीज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन कर बहस पर मनन किया। हम प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय किया जाना न्यायोचित समझते हैं। हस्तगत प्रकरण में यह तथ्य प्रकट हैं कि अप्रार्थी रामकुवांर को आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा दिनांक 05.07.1999 को आवंटन किया गया हैं। आवंटन नियमों के अनुसार जिस ग्राम में भूमि आवंटन के लिए उपलब्ध है वहां भूमि का आवंटन उसी ग्राम के भूमिहीन व्यक्तियों को वरियता के आधार पर किया जाना चाहिए परन्तु अप्रार्थी भूमिहीन नही है, अप्रार्थी के नाम अन्य भूमि भी है एवं आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जाकाश्त नहीं रहा हैं। न्यायालय द्वारा आंवटी के कायम मुकामान को तलब किये जाने पर बावजूद सूचना के पेशी पर उपस्थित नहीं होने से प्रथमदृष्टया यह जाहिर होता है कि अप्रार्थी को आवंटित भूमि के संबंध में

G1

A6/3

किसी प्रकार की राहत नहीं चाहिए। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं कर आवंटन नियम 14(3) का उल्लंघन किया गया हैं। इस संबंध में राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) का अवलोकन किया जिसमें यह उल्लेखित हैं कि यदि आवंटन कपट या दुव्र्यपदेशन (misrepresentation) द्वारा प्राप्त किया गया हो या नियमों के विरूद्व किया हो अथवा यदि आवंटिती ने आवंटन की शर्तो में किसी भी शर्त को भंग किया हो तो ऐसे आंवटन को निरस्त किया जा सकेगा। अतः उक्त आवंटन को खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतएवः परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी को किया गया भूमि आवंटन खसरा संख्या 545/1 रकबा 1 बीघा वाके ग्राम करवर तहसील नैंनवा का आवंटन आदेश दिनांक 05.07.1999 को एतद् द्वारा निरस्त किया जाकर उक्त आवंटित भूमि को राजस्व अभिलेख में राजकीय सिवायचक दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। अतिक्रमी के विरूध नियमानुसार कार्यवाही की जावें। पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर करवाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय प्रति के भिजवाई जावें।

आदेश आज दिनांक 27.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति0 जिला कलक्टर,
बूंदी